सार-समाचार

छात्रवृति आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक

कोटा, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विषेष समूह योजना (पूर्व में विषेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय, मिरासी एवं भिष्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। संयुक्त निदेषक सविता कृष्णिया ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृति के लिए जिले की समस्त शिक्षण संस्थाएं 30 जून तक नवीन पंजीयन या पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन कर सकेंगी। विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति आवेदन करने की अन्तिम तिथि पूर्व में 31 मई थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अब विद्यार्थी 3 जून तक एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई ऐप अथवा मोबाईल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन छात्रवृति आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को नेषनल स्कॉलरषिप पोर्टल की वेबसाईट अथवा एनएसपी ओटीआर ऐप के माध्यम से ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) किया जाना अनिवार्य है तथा विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को जनाधार कार्ड में अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं परिवार का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर छात्रवृति पोर्टल पर डाटा अपडेट करवाना होगा। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

सेवानिवृत्त 23 रेलकर्मियों को विदाई दी

कोटा, (निसं)। कोटा मंडल में आज रेल सेवा से निवृत्त हुए 23 रेलकर्मियों को मंडल कार्यालय में आयोजित एक समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अविरल शर्मा की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम निपटान राशि का भुगतान एनईएफटी माध्यम से किया गया। साथ ही उन्हें पेंशन भुगतान आदेश (आई-पास पोर्टल से), मानार्थ पास, परिचय पत्र तथा उदारीकृत चिकित्सा सुविधा कार्ड प्रदान किए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृति पर मिलने वाली राशी को सावधानीपूर्वक निवेश करने एवं साइबर ठगों से बचने की सलाह भी दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अविरल शर्मा, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक भंवर सिंह,सहायक मंडल वित्त प्रबंधक के एस हाड़ा, सहायक कार्मिक अधिकारी विद्या भूषण भारती सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवैध डोडा चूरा जब्त, एक गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। बापचा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 49 किलो 520 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थानाधिकारी अब्दुल हकीम ने बताया कि उनके नेतृत्व में कोटरापार और खानाखेड़ी तिराहे पर की जा रही नाकाबंदी के दौरान खानाखेड़ी गांव की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई नजर आई, जिसके पीछे तीन प्लास्टिक के कट्टे बंधे हुए थे। पुलिस ने पीछा कर मोटरसाइकिल को रोका और युवक को डिटेन किया। पूछताछ में युवक ने अपना पता चैनसिंह लोधा (24) पुत्र गजानंद निवासी टूटीबरडी (अली नगर) बताया। जब युवक से कट्टों के बारे में पूछा गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। कट्टों की तलाशी लेने पर उनमें अफीम डोडा चूरा मिला। तोल करने पर डोडा चूरा का वजन कट्टों सहित 49 किलो 520 ग्राम निकला। पुलिस ने आरोपी चेनसिंह को गिरफ्तार कर डोडा चूरा तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में कार्यकर्ता भागीदारी निभायें : सिंघवी

छबड़ा (निसं)। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा वंदे गंगा जल संरक्षण एक वृहद जल अभियान है, जिसका उद्देश्य जल संकट से निपटना और वर्षा जल संचयन को जन आंदोलन बनाना है। इस अभियान के अन्तर्गत पारंपरिक जल स्त्रोत (नदी, तालाब, बावडी और कुओं) का जीर्णोद्वार करना, वर्षा जल संचयन के लिए नये रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना, आमजन को जल संचय के लिए जागरूक करना, श्रमदान द्वारा जन भागीदारी से वृक्षारोपण कराना, राहगीरो एवं नागरिक को इस भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल की उचित व्यवस्था करना के सरकार ने विभिन्न विभागो को इस अभियान की गाईडलाईन दे रखी है। कार्यकर्ताओ एवं आमजन से अपील है कि इस अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें तथा अधिक से अधिक इस अभियान को जन सहभागिता से जोड़ने का प्रयास करें।

ए नेगेटिव एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। भीषण गर्मी में ना तो ब्लड कैंप हो पा रहे हैं और ना ही लोग स्वच्छा से रक्तदान कर रहे हैं, ऐसे में समस्या थोड़ी गहराती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी टीम जीवनदाता के समर्पित प्रयास से लोगों की मदद की जा रही है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक व टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि अमरपुरा निवासी मरीज सुरेन्द्र को ए नेगेटिव की आवश्यकता थी, मरीज के परिजनों ने करीब 8 घंटे प्रयास किया लेकिन वह अपने स्तर पर ए नेगेटिव डोनर नहीं ढूंढ सके। उसके बाद टीम जीवनदाता से सम्पर्क हुआ, उसके बाद ए नेगेटिव डोनर कुंदर प्रजापति को कॉल किया तो वह किसी कार्य में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने मरीज का हाल जाना तो वह काम छोड़कर अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और उन्होंने ए नेगेटिव एसडीपी डोनेट की। मरीज के परिजन सत्तू गुर्जर ने कहा कि कुंदन जीवन की उम्मीद बनकर आए हैं, ये कार्य देख वह प्रभावित हुए और उन्होंने भी इस कार्य में सहयोग का आश्वासन दिया। गुप्ता ने कहा कि नेगेटिव ग्रुप के डोनर की अधिकांशतः कमी रहती है ऐसे में एसडीपी के लिए तैयार डोनर ईश्वर का अवतार बनकर आते है।

केन्द्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को केन्द्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण व सघन जांच अभियान चलाया गया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) विनोद मल्होत्रा एवं अति. पुलिस अधीक्षक सुभाष चन्द मिश्रा के निर्देशन में योगेश शर्मा, वृत्ताधिकारी वृत्त प्रथम, डॉ.पूनम, वृत्ताधिकारी वृत्त, द्वितीय, लोकेन्द्र पालीवाल, वृत्ताधिकारी वृत्त, तृतीय, मनीष शर्मा, वृत्ताधिकारी, वृत्त चतुर्थ, वीरेन्द्र भाटी आर.पी.एस (प्रो.), के नेतृत्व में 19 थानाधिकारीगणों सहित केंद्रीय कारागृह, कोटा समेत 164 पुलिस जवानों सहित बंदियों के सामान, बैरिक, लंगर, अस्पताल, हार्डकोर वार्ड की एनएलजेडी/मेटल डिटेक्टर के माध्यम से गहनता से संयुक्त रूप से सघन तलाशी ली गई। सघन चौकिंग एवं तलाशी के दौरान कारागृह एवं बंदियो के पास कोई अवैध/निषिद्ध सामग्री बरामद नहीं हुई।

यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया का दौरा किया

कोटा, (निसं)। कोटा के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ, लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. सुरेश पाण्डेय तथा डॉ. विदुषी शर्मा निदेशक, सुवि आई इंस्टीट्यूट एवं लेसिक लेजर सेंटर, कोटा ने हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजेलिस स्थित विश्वप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया एवं उसके प्रतिष्ठित रोस्की आई इंस्टीट्यूट शैक्षणिक एवं प्रेरणादायी दौरा किया। इस विशेष यात्रा के दौरान डॉ. सुरेश पाण्डेय ने अपनी चर्चित एवं प्रेरणादायी पुस्तक 'एन आई फॉर द स्काई यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की लाईब्रेरी को भेंट की। यह पुस्तक संघर्ष, सेवा, चिकित्सा और सपनों की शक्ति को दर्शाने वाली एक प्रेरक आत्मकथा मानी जाती है, जिसने देश-विदेश के अनेक पाठकों को प्रेरित किया है।

धाकड़ समाज की बैठक आज

छबड़ा (निसं)। धाकड़ समाज सेवा समिति की बैठक शनिवार को स्टेशन रोड स्थित धरणीधर छात्रावास में दोपहर 12 बजे रखी गयी है। अध्यक्ष श्रीलाल धाकड़ ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार 10 दुकानदारों को उनकी धरोहर, सहयोग राशि जो उन्होंने निर्माण के समय दी थी, वापस लौटा दी गयी है। अब आगामी सत्र से छात्रावास के संचालन के लिए सभी का सहयोग और परामर्श चाहिए, जिससे बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर आगे की कार्यवाही फैसले अनुसार संचालित की जाएगी।

दो रेलवे इंजीनियर की मौत में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग

■ अंडर पास निर्माण के दौरान मिट्टी ढहने से हुई थी मौत

कोटा, (निसं)। नेशनल हाईवे 52 दरा घाटी में गुरूवार रात्रि को अंडरपास निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी ढहने से दो रेलवे इंजीनियर की मौत होने का मामला सामने आया है। हादसे में सीनियर सेक्षन इंजिनियर संजय कुमार झा और जुनियर सेक्षन इंजिनियर प्रभात सिंह की मौत हो गई। मामले में मृतक के परिजनो ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के जरिये काम करवाया जा रहा था निर्माण स्थल पर पूरी तरह सेफ्टी नही थी, जिसके चलते हादसा हुआ है पूरे मामले में परिजनो ने रेलवे अधिकारियों के सामने नाराजगी जताते हुए मामले में निश्पक्ष जांच की मांग की है।

मजदूर संघ ने जताया विरोध- कोटा-नागदा रेलखंड के कंवलपुरा-दरा स्टेशन के बीच दरा मे अंडरब्रिज विस्तार कार्य के दौरान दर्दनाक दुर्घटना में दो इंजीनियर सुपरवाईजरों की मौत के बाद रेल कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने मण्डल रेल प्रबंधक अनिल कालरा को ज्ञापन सौंपा एवं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि रेल कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बंद नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के मण्डल सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि कंवलपुरा-दरा रेलखंड में अंडर ब्रिज विस्तार का कार्य निजी एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा था। इसी दौरान अचानक ऊपर की मिट्टी धंस गई और कार्य की निगरानी कर रहे दो इंजिनियर की दुखद मृत्यु हो गई। उन्होने कहा कि संघ ने इस मामले में हाई पॉवर कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराने, लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। वही संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा कि यह घटना अत्यंत हृदय विदारक है और पश्चिम मध्य रेल में इस तरह की लगातार घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं।

एआईआरएफ ने जताया विरोधः- रेलवे के दो इंजिनियर की मौत के मामले को लेकर एआईआरएफ के सहायक महामंत्री मुकेश गालव के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने निर्माण और सभी कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैय्या कराने की मांग की साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की। एआईआरएफ के सहायक महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि कोटा मंडल के दरा-कंवलपुरा रेलखंड में घटित अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक दुर्घटना, जिसमें वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर संजय झा एवं जूनियर इंजीनियर (कार्य) अप्रेंटिस प्रभात सिंह की मिट्टी धंसने से दर्दनाक मृत्यु हो गई।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं उसकी प्रभावी निगरानी को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं केवल कोटा मंडल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न मंडलों एवं जोनों में भी समय-समय पर सुरक्षा संबंधी गंभीर दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दीगोद क्षेत्र का सघन दौरा किया

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को दीगोद क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल के साथ क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों का सघन निरीक्षण कर स्थानीय स्तर पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।

मंत्री नागर ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। अपने दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री ने गांवों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की धरातलीय स्थिति को भी बारीकी से देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

दौरे के क्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ग्राम पंचायत मूण्डला, कोटसुआं, नीमोदा, डूंगरज्या, दीगोद तथा पोलाईकलां पंचायत मुख्यालयों पर पहुंचे। डूंगरज्या ग्राम पंचायत में उन्होंने नाला एनिकट और सड़क पर चल रहे पुलिया निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। कार्य की स्थिति को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री नागर ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे तय समय सीमा के भीतर सभी गुणवत्तापूर्ण कार्यों को पूरा करें, ताकि आगामी वर्षा ऋतु में पानी की एक-एक बूंद को सहेजा जा सके और आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान नीमोदा हरि जी गांव में अव्यवस्थाएं देखकर ऊर्जा मंत्री बेहद नाराज नजर आए। गांव में टूटी-फूटी नालियां और सड़कों पर पसरे कीचड़ को देखकर वे भड़क गए। उन्होंने मौके से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के शासन सचिव आईएएस प्रवीण गुप्ता से फोन पर बात की।

जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित

छबड़ा (निसं)। वन्दे गंगा अभियान के तहत कैशोली गांव में प्रधान हरिओम नागर की अध्यक्षता में जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीण महिलाओं ने डीजे-बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत तालाब किनारे आम सभा आयोजित की गई। विकास अधिकारी राधेश्याम भील ने बताया कि यहां प्रधान नागर द्वारा ग्रामीणों से जल संरक्षण अपनाने की अपील करते हुए बताया की जल का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमें जल स्त्रोतों नदी नालो, तालाबों को स्वच्छ रखने में भागीदारी निभानी चाहिए। उसके बाद सहायक विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद मीणा द्वारा संकल्प दिलवाया।

श्री गंगानगर-काचेगुडा साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन प्रारंभ

कोटा, (निसं)। यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती यातायात माँग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा पूर्व में संचालित विशेष गाड़ी संख्या 07053/07054 को नियमित करते हुए काचेगुडा-श्री गंगानगर-काचेगुडा के मध्य साप्ताहिक एक्सप्रेस गाडी का स्थायी संचालन प्रारंभ किया जा रहा है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 17601 (काचेगुडा-श्री गंगानगर) दिनांक 25.07.2026 से प्रत्येक शनिवार को काचेगुडा से 22.00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रविवार को कोटा जंक्शन 03.40 बजे, सवाई माधोपुर जंक्शन 05.20 बजे होते हुए तीसरे दिन सोमवार को 21.30 बजे श्री गंगानगर पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 17602 (श्री गंगानगर-काचेगुडा) दिनांक 28.07.2026 से प्रत्येक मंगलवार को श्री गंगानगर से 06.55 बजे प्रस्थान कर उसी दिन सवाई माधोपुर जंक्शन 22.20 बजे, कोटा जंक्शन 23.50 बजे होते हुए तीसरे दिन गुरुवार को 07.15 बजे काचेगुडा पहुँचेगी।

यह गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में काचीगुडा, मलकाजगिरि, मसाईपेट, कामारेड्डी, निजामाबाद जंक्शन, जानकम्पेट जंक्शन, बासर, धर्माबाद, मुदखेड, नांदेड़, पूर्णा जंक्शन, बसमत, हिंगोली डेक्कन, वाशिम, अकोला जंक्शन, मलकापुर, हरदा, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, नागदा जंक्शन, कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन, बनस्थली निवाई, दुर्गापुरा, जयपुर जंक्शन, दहार का बालाजी, रींगस जंक्शन, सीकर जंक्शन, चूरू, रतनगढ़ जंक्शन, पारसनेऊ, बिग्गा, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर ईस्ट, बीकानेर जंक्शन, लालगढ़ जंक्शन, लूनकरनसर, सूरतगढ़ जंक्शन, रायसिंहनगर, श्री करणपुर, श्री गंगानगर स्टेशनों पर रुकेगी। इस गाड़ी में 02 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 08 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 06 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य श्रेणी सहित कुल 22 डिब्बे होंगे।

तीन बहन भाई दृष्टि बाधित, एक को मिली कॉर्निया ट्रांसप्लांट से रोशनी

कोटा, (निसं)। हाड़ौती संभाग, 15 वर्षो से नेत्रदान अंगदान और देहदान के लिए, सम्मिलित रूप से कार्य कर रही हाड़ौती संभाग की एकमात्र संस्था शाईन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कॉर्निया कि अंधता से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिये, अनवरत प्रयास किया जा रहा हैं।

चार माह पूर्व, नेत्रदान जागरूकता की कार्यशाला के दौरान, संपर्क करने पर जानकारी में आया कि, ग्राम विलासगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां निवासी, रामराज के तीन बच्चे विवेक, प्रियंका, शुभम जन्म के थोड़े समय बाद से ही आंखों की (कॉर्निया) पुतली के सफेद हो जाने के कारण (कंजेटियल हेरिडिटरी एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी बीमारी) दृष्टिबाधित हो गए। संस्था के संपर्क में आते ही सदस्यों ने तुरंत तीनों बच्चों को, स्वयं के खर्चे पर गांव से सीधा इंदौर के शंकरा नेत्रालय में भेजा, वहां पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. अमित देवकर ने तीनों बच्चों की काफी सारी जांच की और बताया कि, तीनों बच्चों में रोशनी आने की संभावना है, पर हम एक-एक करके, तीनों बच्चों में कार्निया का प्रत्यारोपण करेंगे। एक माह पूर्व कोटा के, कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जन डॉ.अरनव सरोया के मार्गदर्शन में सबसे पहले, विवेक को इंदौर भेजा गया। वहां डॉ.अमित देवकर कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जन ने, सर्वप्रथम 13 वर्षीय विवेक की सर्जरी की, और उसमें से मृत व्यक्ति से दान में प्राप्त कॉर्निया की पांच परतों में से, एक परत को डाला गया। यह सर्जरी डीमैक सर्जरी कहलाती है। एक माह के बाद, विवेक को प्रत्यारोपण होने वाली आंख में 50 प्रतिशत दिखाई देने लगा है। दृष्टी का प्रतिशत समय के साथ-साथ और बढ़ने लगेगा। अब विवेक के चेहरे पर आत्म-विश्वास के साथ-साथ खुशी भी दिखाई देने लगी हैं। सालों बाद अपने माता-पिता और भाई बहनों को देखकर विवेक की खुशी की सीमा नहीं हैं। डॉ.अमित देवकर ने कहा कि,पूरे कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करने से ज्यादा अच्छा है कि, विवेक के कॉर्निया की पॉच परतों में से जो एक खराब था, हमने उसी का ट्रांसप्लांट किया है। इस तरह की सर्जरी में दृष्टि आने के उत्तम परिणाम होते है।

आज 6 घण्टे बिजली बाधित रहेगी

छबड़ा (निसं)। प्रसारण विभाग द्वारा 132 केवी लाइन के तार खिचने का कार्य होने के कारण छबडा जीएसएस से सम्बंधित शहरी पेट्रोल पम्प 11 केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति आज 6 घंटे और कल 5 घण्टे बंद रहेगी। प्रसारण विभाग कवाई द्वारा प्रेषित पत्र के द्वारा बताया कि 132 केवी लाइन के तार खिचने का कार्य होने के कारण छबडा जीएसएस से संचालित पेट्रोल पम्प 11 केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 6 घंटे और रविवार को सुबह 9.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक 4.30 घण्टे बंद रहेगी।

किसानों को सब्सिडी पर कुट्टी मशीनें वितरित

कोटा में किसानों को सब्सिडी वाली कुट्टी मशीनें दी गई।

■ कोटा-बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस डेयरी की पहल

कोटा, (निसं)। कोटा-बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों एवं पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए शुक्रवार को सब्सिडी पर कुट्टी मशीनों का वितरण किया गया। अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अगुवाई में सरस डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को विद्युत संचालित 38 कुट्टी मशीनें तथा 15 स्वचालित कुट्टी मशीनें वितरित कीं। मशीनें प्राप्त करने के बाद किसानों के चेहरों पर उत्साह और खुशी साफ दिखाई दी।

कार्यक्रम में बताया गया कि सरस डेयरी द्वारा चरणबद्ध तरीके से कुल 300 कुट्टी मशीनों का वितरण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों पशुपालकों को लाभ मिलेगा। शुक्रवार को प्रथम चरण में 53 मशीनों का वितरण किया गया। योजना का लाभ उन किसानों को प्राथमिकता से दिया गया जो नियमित रूप से डेयरी को दुग्ध उपलब्ध करा रहे हैं। इस अवसर पर सरस डेयरी के प्रबंध निदेशक दिलखुश मीणा सहित बड़ी संख्या में कृषक एवं डेयरी से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में संचालित विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कुट्टी मशीनों के उपयोग से पशुओं के लिए चारे की कटाई आसान होगी, समय और श्रम की बचत होगी तथा पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। राठौड़ ने कहा कि सरस डेयरी केवल दुग्ध संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के समग्र विकास के लिए आधुनिक तकनीक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने पशुपालकों से नई तकनीकों को अपनाने और डेयरी से अधिकाधिक सब्सिडी पर वितरित हुई कुट्टी मशीनें का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने सरस डेयरी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कुट्टी मशीनों से पशुपालन कार्य अधिक सुगम होगा तथा चारे की बर्बादी भी कम होगी।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सुनीता शर्मा से बदलकर नया नाम उर्मिला शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-उर्मिला शर्मा पत्नी स्व. श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी 520, शास्त्री नगर दादाबाड़ी, कोटा (राज.)

खोया पाया

मेरे मकान नं. एम.पी.बी. 80 महावीर नगर प्रथम कोटा के मूल दस्तावेजों में से कन्वेमेन्स डीड व परपेच्वल डीड कही गुम हो गये है। मिलने पर निम्न पते पर सूचित करे।
पता-कौशल्या देवी मीणा पत्नी स्व. श्री पुरूषोतम मीणा एम.पी.बी. 80 महावीर नगर प्रथम कोटा, मो. 992887550

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार राजेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री कृष्ण बिहारी सक्सेना निवासी म.नं. 4-पी-10 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा वर्तमान पता-म.नं. 6-बी-5 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा-राज. की ओर से सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार का निखिल सक्सेना मेरे पक्षकार के कहने में बिल्कुल भी नहीं है जो लगातार बुरी संगत में पड़ा हुआ है तथा निखिल सक्सेना मेरे पक्षकार के संपर्क में नहीं है ना ही उसका मेरे पक्षकार के यहां आना जाना है इस कारण से मेरे पक्षकार निखिल सक्सेना को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से आज से बेदखल करता है आज के बाद मेरे पक्षकार व उसके परिवार से निखिल सक्सेना का कोई सरोकार नहीं है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति निखिल सक्सेना से कोई संव्यवहार करता है तो उसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। सूचित हों।
दिनांक 29.5.2026
भवदीय
भूपेन्द्र वर्मा एडवोकेट

आम सूचना

यह कि मेरी पक्षकारा श्रीमति चंदा बाई पत्नी राजू निवासी-रामनगर कोलोनी इन्दौर वायपास झालारायपाटन जिला झालावाड राजस्थान मो. 7726858250 की और से उनके निर्देशानुसार सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा का पुत्र राज पंवार उम्र 21 वर्ष (हाल निवासी C/O तुलसी नंदलाल होटल की गली डीसीएम कोटा) जो कि वर्तमान समय में मेरी पक्षकारा के कहने में नही है एवं अन्य लोगों के कहने और सुनने में है, इसलिये मेरी पक्षकारा का राज पंवार से आज के बाद किसी तरह का कोई लेना देना नही है। एवं मेरी पक्षकारा राज पंवार को अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है एवं मेरी पक्षकार के सरकारी नौकरी के परिलाभों एवं भत्तों से भी बेदखल करती है एवं आज से मेरी पक्षकारा का राज पंवार के परिवार से कोई सरोकार नहीं है एवं राज पंवार भविष्य में किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी तरह का कोई आर्थिक संव्यवहार भी करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी राज पंवार की ही होगी। इस तरह मेरी पक्षकारा द्वारा राज पंवार को अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं नौकरी सम्बंधी परिलाभों से पूर्णतया बेदखल किया जाता है।
दिनांक 29.5.26
भवदीय
अमित कुमार शर्मा एडवोकेट

KOTA BUS SERVICES LIMITED
Nagar Nigam, New Administrative Building Rajeev Gandhi Bhawan, Dushera Maidan, Kishor Pura, KOTA, E-mail: kbslcitybus@gmail.com
Ref. No. :- KBSL/NNK/2025-26/1384-1402 Date:- 25/05/2026
निविदा शुद्धिपत्र
के.बी.एस.एल कोटा द्वारा मंत्रालयिक कार्मिक, गार्ड एवं परिचालको की आपूर्ती हेतु ई बोली सूचना सं. 01/2025-26 निविदा क्रमांक KBSL/NNK/2025-26/1315-1322 दिनांक 05.05.2026 को जारी की गई थी। जिसमें निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है-
उक्त निविदा में प्रकाशित निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 28.06.2026 को सांय 6.00 बजे के स्थान पर 01.06.2026 को सांय 6.00 बजे तक एवं तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 29.05.2026 को सांय 4.00 बजे के स्थान पर 02.06.2026 को सांय 4.00 बजे तक पढ़ा जावे।
अधिशाषी अभियंता
के.बी.एस.एल कोटा
राज.संवाद/सी/26/3739

कार्यालय नगर पालिका कापरेन जिला बून्दी (राज.)
क्रमांक-न.पा.का./2026/308 **आपत्ति सूचना** दिनांक-29.05.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि श्री सुशील शर्मा आ. श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी हीरापुर कापरेन जिला बून्दी (राज.) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के पिता श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी हीरापुर कापरेन के नाम नगरपालिका कापरेन द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 2025-26/164644 दिनांक 24.12.2025 क्षेत्रफल 19.44 वर्गगज जारी किया गया था। जिसकों श्री रामप्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 11.02.2026 को अपने पुत्र श्री सुशील कुमार शर्मा आ. श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी हीरापुर कापरेन के नाम रजिस्टर्ड दान पत्र लिख दिया हैं। रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर आवेदक पालिका रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हैं।
अतः उक्त के सम्बन्ध में दस्तावेजों की जांच की जा रही हैं जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति 07 दिवस में कार्यालय नगरपालिका कापरेन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधि पश्चात् आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, कापरेन

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/309 दिनांक : 29.05.2026
नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 18 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर व्यावसायिक योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 367 दिनांक 12.12.2000 को मैसर्स अनिल ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स जरिये प्रो. श्री अनिल कोहली पुत्र श्री सोहन सिंह कोहली के नाम आवंटन किया गया था। मैसर्स अनिल ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स जरिये प्रो. श्री अनिल कोहली पुत्र श्री सोहन सिंह कोहली द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री अशोक जैन पुत्र श्री शम्भुलाल जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2013 को श्रीमती अर्चना जैन पत्नी श्री अशोक जैन को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती अर्चना जैन पत्नी श्री अशोक जैन द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 18 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर व्यावसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती अर्चना जैन पत्नी श्री अशोक जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)
क्रमांकः LU2012/KOT/2026-27/101204 **लोक सूचना** दि.29.05.2026
श्री M/S VRB DEVELOPERS LLP THROUGH BHUPENDRA JHURIA पुत्र श्री MAHENDRA SINGH जाति JAT निवासी GROUND FLOOR, PLOT NO A-1, SCHEME NO 11A, SHIV SHANKAR COLONY, NEAR MANSAROVER METRO STATION, NEW SANGANER ROAD JAIPUR RAJASTHAN ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नांदना उर्फ बड़गाव, लाड़पुरा (कोटा)	M/S VRB DEVELOPERS LLP AUTHORIZED SIGNATORY BHUPENDRA JHURIA S/O MAHENDRA SINGH CASTE- CHOUDHARY (JAT) GRAM PALRI TEH.- BHARD DIST- HANUMANGARH RAJ. KHATEDAR	976 PART	2090	0.209
			977 PART	6120	0.612
			982	200	0.02
			983	10700	1.07
			कुल		1.911

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क ओर राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/05/2026 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- 1650 दिनांक : 29.5.26
रजिस्ट्री जारी बाबत आम सूचना
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की वीर सावरकर नगर रंगबाडी आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 193 का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 172 दिनांक 20.03.1987 को श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ जी को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री रमेश चन्द्र द्वारा दिनांक 10.07.2004 को श्रीमती जानकी बाई पत्नि श्री राम नारायण को मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास की रजिस्ट्री जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम से रजि. जारी करने की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवास संख्या 193 योजना वीर सावरकर नगर रंगबाडी आवासीय योजना की रजिस्ट्री श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ जी जर्ये मु.आम श्रीमती जानकी बाई पत्नि श्री राम नारायण के नाम से जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/304 दिनांक : 29.05.26
नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना श्रीनाथपुरम-डी आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 93 का आवंटन पत्र क्रमांक 547 दिनांक 31.05.2021 को श्रीमती अर्चना नायक पत्नी श्री देवलाल के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती अर्चना नायक की मृत्यु दिनांक 24.10.2023 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्रीमती अर्चना नायक पत्नी श्री देवलाल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री देव लाल पुत्र श्री बाबु सिंह जरियेवली नाबालिक राजवीर सिंह पुत्र श्री देवलाल एवं नाबालिक सरिता पुत्री श्री देवलाल द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 93 श्रीनाथपुरम-डी आवासीय कम व्यावसायिक अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।
अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 93 योजना श्रीनाथपुरम-डी आवासीय कम व्यावसायिक का नामहस्तान्तरण श्री देव लाल पुत्र श्री बाबु सिंह जरियेवली नाबालिक राजवीर सिंह पुत्र श्री देवलाल एवं नाबालिक सरिता पुत्री श्री देवलाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/306 दिनांक : 29.05.2026
नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 179 टैगोर नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 2109 दिनांक 18.08.2005 को श्रीमती अन्जु कुमारी पत्नि श्री स्व. श्री बंशीलाल के नाम आवंटन किया गया था। जिसका नामहस्तारण क्रमांक 3748/49 दिनांक 04.13.2013 को श्री अरूण डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल एवं आलोक डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल को किया जा चुका है। श्री अरूण डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल एवं आलोक डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री महावीर श्रृंगी पुत्र श्री दामोदर श्रृंगी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.04.2026 को श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री महावीर श्रृंगी को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री महावीर श्रृंगी द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 179 टैगोर नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री महावीर श्रृंगी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/305 दिनांक : 29.05.26
नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना स्वामी विवेकानन्द नगर आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 104 का आवंटन पत्र क्रमांक 80 दिनांक 09.12.2020 को श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री नंद किशोर शर्मा के नाम आवंटन किया गया था। श्री राधेश्याम शर्मा की मृत्यु दिनांक 09.08.2024 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री नंद किशोर शर्मा के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर सुश्री आशा राधेश्याम शर्मा पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 104 स्वामी विवेकानन्द नगर आवासीय कम व्यावसायिक अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।
अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 104 योजना स्वामी विवेकानन्द नगर आवासीय कम व्यावसायिक का नामहस्तान्तरण सुश्री आशा राधेश्याम शर्मा पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा